न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/2019

अनवान :

1. सुर्यकान्त पुत्र झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. झिन्डुराम पुत्र बालुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा। – **प्रतिवादीगण**
3. अमरजीत कोर पुत्री झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
4. इन्द्रा देवी पुत्री झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्रसिह बेनीवाल : वादी

वकील श्री भानुप्रताप सिह :प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 05·08·2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनुपशहर की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 112/94 के खसरा संख्या 764 की 9.3580 हैक्टर, खसरा संख्या 765 की 5.3110 हैक्टर, खसरा संख्या 912 की 0.8220 हैक्टर बारानी कुल खसरा 3 की 15.4910 हैक्टर बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 व 2051 संलग्न दावा है।

दावा की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जददी जायदाद पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं. 3 व 4 का जन्म से हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी कर्ता खानदान होने के कारण वादभूमि अकेले प्रतिवादी नं. 1 के दर्ज हो गई है।

वादभूमि अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रहने से वादी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिऐ वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि दावा की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जों वादी की सगी बहन है जो पिछे होली के त्योहार पर जब सभी परिवार वाले ईकठठे हुए तो उस समय प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने वाद भूमि में वर्णित अपना–अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा आपसी स्नेह से वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था। इस प्रकार वादभूमि में वादी अकेला 3/4 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। बाद घोषणा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 अपना ईकबालदावा व राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में वादी सुर्यकान्त पुत्र झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2051–54 ग्राम अनुपशहर प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम अनुपशहर सम्वत 2071–74 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अनुपशहर प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने कि रोही मौजा अनुपशहर की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 112/94 के खसरा संख्या 764 की 9.3580 हैक्टर, खसरा संख्या 765 की 5.3110 हैक्टर, खसरा संख्या 912 की 0.8220 हैक्टर बारानी कुल खसरा 3 की 15.4910 हैक्टर बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2051–54 ग्राम अनुपशहर प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम अनुपशहर सम्वत 2071–74 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीएवं प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4 ने भी राजीनामा के अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 112/94 के खसरा संख्या 764 की 9.3580 हैक्टर, खसरा संख्या 765 की 5.3110 हैक्टर, खसरा संख्या 912 की 0.8220 हैक्टर बारानी कुल खसरा 3 की 15. 4910 हैक्टर बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं01 झिन्डुराम के बजाय उक्त 1/4 हिस्सा भूमि में वादी सुर्यकान्त 3/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05·08·2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल) [signature]
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/2019

अनवान :

1. सुर्यकान्त पुत्र झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. झिन्डुराम पुत्र बालुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा। **– प्रतिवादीगण**
3. अमरजीत कोर पुत्री झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
4. इन्द्रा देवी पुत्री झिन्डुराम जाति यादव निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र बेनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण भानुप्रताप सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 112/94 के खसरा संख्या 764 की 9.3580 हैक्टर, खसरा संख्या 765 की 5.3110 हैक्टर, खसरा संख्या 912 की 0.8220 हैक्टर बारानी कुल खसरा 3 की 15.4910 हैक्टर बारानी संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं01 झिन्डुराम के बजाय उक्त 1/4 हिस्सा भूमि में वादी सुर्यकान्त 3/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 1 झिन्डुराम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़